आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर
दिनांक : 18.03.2024
समय : 0705

<><><><><><><>

- चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आदर्श आचार सहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव के लिए देशभर में ढेड़ करोड़ चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाएगा।
- राजनीतिक दलों, मीडिया कर्मियों और प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के लिए आज ज़िला निर्वाचन कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा।
- आगामी लोक सभा चुनाव को देखते हुए द्वीपों में सभी संबंधितों को चुनाव से जुड़े नियमों और दिशा–निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
- मध्योत्तर अंडमान जिले में चुनाव नियत्रंण कक्ष स्थापित किया गया है।
- निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त डिजिटल डाटा कल अपनी वेवसाइट पर अपलोड कर दिया है।

<><><><><><><>

आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनाव आदर्श आचार सहिता लागू हो गई है। ये चुनाव सात चरणों में कराये जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में पहले चरण में उन्नीस अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना चार जून को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश में संतानब्बे करोड पंजीकृत मतदाता हैं। मतदान के लिए साढे दस लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां डेढ करोड चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में पहली बार वोट देने वाले एक करोड बयासी लाख मतदाता होंगे। श्री कुमार ने बताया कि आयोग पचासी वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगजनों को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक पार्टियों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने गम्भीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव में क्यों उतारा। उन्होंने बताया कि ईवीएम और वी वी पैट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं तथा सुचारू मतदान सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था है। श्री राजीव कुमार ने कहा कि बाहुबल, धनबल, भ्रामक प्रचार और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन निर्वाचन आयोग के सामने बडी चुनौतियां

हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने बाधाकारी चुनौतियों से निपटने के सभी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बाहुबल पर निगरानी रखने के लिए मतदान के दिन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।

<><><><><><><>

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनावों में खून–खराबा और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और यदि कहीं हिंसा हुई तो आयोग कडी कार्रवाई करेगा। श्री कुमार ने बताया कि संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि शराब, नकदी, मादक पदार्थों और अन्य प्रकार की प्रलोभनकारी वस्तुओं को बांटे जाने पर नियंत्रण रखें। उन्होंने कहा कि आयोग ने नकदी के हस्तांतरण पर भी कडी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव तंत्र को कचरा प्रबंधन और कागज के कम से कम उपयोग को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दो हजार एक सौ प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष सोलह जून को समाप्त हो रहा है। देश में लोकसभा की पांच सौ तैतालीस सीटें हैं जिनमें से चौरासी सीटें अनुसूचित जाति और सैंतालीस अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

<><><><><><><>

आगामी लोक सभा चुनाव की घोषणा के साथ ही द्वीपसमूह में पहले चरण में चुनाव कराए जाने को लेकर बैठकों का दौर आरंभ हो चुका है। आज सुबह दस बजे ज़िला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में मीडिया कर्मियों के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में दक्षिण अंडमान ज़िला निर्वाचन अधिकारी आदर्श आचार सहिता के बारे में मीडिया कर्मियों को भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराएंगे। आज ही दिन में साढ़े दस बजे प्रिटिंग प्रेस मालिकों के लिए ज़िला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में ज़िला निर्वाचन अधिकारी पाम्पलेट और पोस्टर के मुद्रण को लेकर लगे प्रतिबंधों से प्रिटिंग प्रेस के मालिकों को अवगत कराएंगे। इसके अलावा आज ही दिन में ग्यारह बजे ज़िला निर्वाचन अधिकारी ज़िला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में चुनाव आयोग की ओर से जारी कानूनी प्रावधानों और निर्देशों के अलावा चुनावी खर्च तथा इसकी निगरानी के बारे में नेताओं को अवगत कराएंगे। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस बैठक में शामिल होने को कहा गया है।

<><><><><><><>

आगामी लोक सभा चुनाव की घोषणा के साथ ही द्वीपों में सभी संबंधितों को चुनाव से जुड़े नियमों और दिशा–निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। चुनाव से संबंधित पाम्पलेट या पोस्टर के मुद्रण या प्रकाशन करते समय उसमें प्रिंटर और प्रकाशक का नाम होना अनिर्वाय है बिना इसके किसी को भी चुनाव पाम्पलेट या पोस्टर छापने की अनुमति नहीं होगी। छापे या प्रकाशित किए गए मुद्रण सामग्रियों को तीन अतिरिक्त कॉपी के साथ प्रत्येक मुद्रित सामग्री को मुद्रण के तीन दिनों के भीतर इसकी कॉपियां दक्षिण अंडमान के चुनाव खर्च निगरानी के नोडल अधिकारी के पास भेजना होगा। नियमों का उल्लंघन करने के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर, विज्ञापन, बैनर, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्रिया जिन्हें प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाना है या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से उनका प्रसारण करना है ऐसे सभी आवेदनों को स्वीकृति के लिए मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति के सदस्य सचिव के नाम सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय में जमा करना होगा।

<><><><><><><>

स्वतंत्र और निष्पक्ष लोक सभा चुनाव कराने के लिए मध्योत्तर अंडमान जिले के लोगों से रिश्वत देने या लेने और डराने धमकाने के मामले के बारे में जानकारी मिलने पर सभी तहसीलों और जिला मुख्यालय में स्थापित चुनाव नियत्रंण कक्षों के हेल्पलाइन नम्बरों पर सूचना देने को कहा गया है। लोगों से अवैध गतिविधियों की जानकारी भी इन नम्बरों पर सूचित करने को कहा गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला चुनाव नियत्रंण कक्ष में फोन संख्या दो सात तीन एक तीन सात, रंगत के चुनाव नियत्रंण कक्ष में दो सात चार दो चार आठ और डिगलीपुर के चुनाव नियत्रंण कक्ष में दो सात दो दो छ शून्य पर जानकारी दी जा सकती है। इस बीच दक्षिण अंडमान उप–निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की स्वीप टीम की ओर से कल जंगलीघाट के खैतान मंडपम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने स्वैच्छिक रक्तदाताओं में प्रमाण पत्रों का वितरण किया।

उधर, कार निकोबार जिला निर्वाचन अधिकारी की स्वीप टीम की ओर से भी कल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एडवर्ड कुच्चट पार्क में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योति कुमारी ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

<><><><><><>

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी–एनटीए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा–सीयूईटी–यूजी परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पन्द्रह मई से इक्कतीस मई के बीच आयोजित करायेगी। इस दौरान आम चुनाव के लिए मतदान की तिथि बीस मई और पच्चीस मई भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि छब्बीस मार्च के बाद पंजीकृत छात्रों की संख्या और उनकी भौगोलिक स्थिति का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि एनटीए इस जानकारी और मतदान तिथियों के आधार पर सीयूईटी–यूजी की परीक्षा की तिथियां पन्द्रह मई से इक्कतीस मई के बीच तय करेगा।

<><><><><><>

निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त डिजिटल डाटा कल अपनी वेवसाइट पर अपलोड कर दिया है। यह डाटा निर्वाचन आयोग की वेवसाइट **www-eci-gov-in@candidate&politicalparty** पर देखा जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉड से संबंधित डाटा सीलबंद लिफाफे में दिया था और लिफाफे को खोले बिना इन्हें सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया था। न्यायालय के पन्द्रह मार्च के निर्देश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने यह डाटा सील कवर में फिजिकल माध्यम से और पेनड्राइव में चुनाव आयोग को वापस कर दिया है।

<><><><><><>

समाचार पत्रों की सुर्खियां

आगामी लोक सभा चुनाव के लिए चुनाव तारीखों की घोषणा करने और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में पहले चरण में उन्नीस अप्रैल को मतदान कराए जाने के समाचार को– अंडमान

कोनिकल ने आज अपनी बड़ी खबर बनाया है। मतदाताओं में जागरूकता उत्पन्न करने और ज्यादा से ज्यादा इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की ओर से कई नए कार्यक्रमों की शुरूआत करने के समाचार को– द डेली टेलीग्रम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। आदर्श आचार सहिता का उल्लघंन करने वालो की शिकायते निशुल्क नम्बर एक नौ पांच शून्य या सी विज़िल ऐप के माध्यम से करने का अनुरोध किया गया है– द्वीप समाचार की खबर है। ननकौड़ी द्वीपसमूह में सुविधाओं का जायजा लेने के लिए पुलिस महानिदेशक ने अन्य अधिकारियों के साथ इस क्षेत्र की विभिन्न पुलिस थानों का दौरा किया– द इको ऑफ इंडिया की खबर है। मध्योत्तर अंडमान जिले में स्वीप गतिविधि के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महिलाओं के लिए मिनी मैराथन का आयोजन करने के समाचार को– इंफो इंडिया ने प्रथम पृष्ठ में प्रकाशित किया है।

<><><><><><><>